

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक: 6/रा0ग्रा10पे0यो0-1014/13-977

पटना, दिनांक:- 09/06/14

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा जलापूर्ति के लिए 31 नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु कुल 5814.605 लाख (अन्दावन करोड़ चौदह लाख साठ हजार पाँच सौ रूपये) की राशि पर योजना की स्वीकृति।

आदेश: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा जलापूर्ति के लिए 31 नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु कुल 5814.605 लाख (अन्दावन करोड़ चौदह लाख साठ हजार पाँच सौ रूपये) की राशि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। योजना की जिलावार विवरण परिशिष्ट- I पर संलग्न है।

2. भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) अन्तर्गत ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना की लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। तदनुसार प्रस्तावित योजना में रू0 2907.3025 लाख रूपये केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार एवं शेष राशि रू0 2907.3025 लाख रूपये राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

इस योजना के परिचालन एवं रख-रखाव (Operation & Maintenance) हेतु राशि का वहन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत परिचालन एवं रख-रखाव (O&M) हेतु कर्णांकित (15 प्रतिशत) राशि से किया जाना है। प्रस्तावित योजना में पाँच वर्ष का परिचालन एवं रख-रखाव का प्रावधान है।

3. परिशिष्ट- I में जिलावार अंकित योजनाओं की लागत राशि में केन्द्रांश मद की राशि (50%) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (BSWSM) के NRDWP, Programme Fund के बैंक बचत खाता संख्या 31458965548 में उपलब्ध कराई गई राशि से योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को विमुक्त की जाएगी।


4. इस योजना पर होनेवाले राज्यांश मद (50%) राशि का व्यय योजना बजट शीर्ष 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-01- जल पूर्ति-102- ग्रामीण जल पूर्ति-उप शीर्ष -0330- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम विपत्र कोड-P4215011020330-विषय शीर्ष-53 01- मुख्य निर्माण कार्य; 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-01- जल पूर्ति-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- उप शीर्ष -0312- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम विपत्र-कोड-P4215017890312- विषय शीर्ष-53 01- मुख्य निर्माण कार्य एवं 4215-

जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-01- जल पूर्ति-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना-
उपशीर्ष -0317-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम विपत्र-कोड-P4215017960317-विषय
शीर्ष-53 01- मुख्य निर्माण कार्य में भारितव्य होगा।

5. इस योजना के अन्तर्गत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे। राशि की निकासी संबंधित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी। योजना पर होनेवाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा।
6. इस राशि में से स्थापना पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।
7. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।
8. योजना एवं गैर -योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम4-53/2007- 96 वि० (2), दिनांक 03.01.08 के आलोक में दिनांक-17.02.2014 को हुई योजना प्राधिकृत समिति की बैठक एवं दिनांक-27.05.2014 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गयी है।
9. राज्यांश-मद की राशि हेतु वर्ष 2014-15 के योजना बजट में प्रावधान है।
10. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु०- यथोपरि।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

पटना, दिनांक- 09/6/14

ज्ञापांक:- 977
प्रतिलिपि:-


1. अनु० सहित वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 2. अनु० सहित अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव/ मुख्य अभियंता (नागरिक)/ मुख्य अभियंता (रूपांकन)/ सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/ अधीक्षण अभियंता (मो०)/ विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो०)/उप निदेशक, (मूल्यांकन/निदेशक, पी०एम०यू०/प्रशाखा-6/आई०टी०, मैनेजर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 3. अनु० सहित सभी संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ संबंधित अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल /संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- अनु०- यथोपरि।




(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में स्वीकृति के लिए नई पाईप जलापूर्ति योजनाओं की जिलावार विवरणी।

क्र.सं.	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)
1.	2.	3.	4.	5.
1	बक्सर	बक्सर	चुन्नी	150.726
2			अतिथि	189.742
3	भोजपुर	अररु	अकडुआ	80.314
4	सासाराम	सासाराम	जमोढ़ी	112.160
5	नालंदा	बिहारखंड	कोलावाँ	229.800
6	जहानाबाद	जहानाबाद	वेम्मई	91.980
7			तेतरिया	33.620
8			लटनपट्टी	34.070
9			इमलिया	24.050
10			अफजलपुर	42.300
11			मुबारकपुर	26.530
12			नवादा	नवादा
13	लखीसराय	लखीसराय	औरे	211.430
14			रामपुर	222.090
15			मानिकपुर	436.810
16	खगड़िया	खगड़िया	पसाराहा	227.235
17	बेगूसराय	बेगूसराय	गालपुंर	198.540
18	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	गदियन	222.390
19			मधुवन बसहा (परिष्कृत)	305.030
20			रसूलपुर	231.190
21			मधुरापुर	173.570
22			खड्डा बसन्त (उज्जरी)	291.900
23			सिरसी	282.900
24			सुरसंड (परिष्कृत)	251.400
25			मासूमनगर उर्फ फ्रेमनर	221.226
26	वैशाली	हाजीपुर	नंगवा	332.815
27			दाउदनगर	314.406
28	पूर्वी चम्पारण	ढाका	राजेपुर बाजार	145.440
29		मोतिहारी	अपकहिया	152.180
30			सोनबरसा	263.150
31	सारण	छपरा	भजौना	159.401
कुल				5814.605
(अन्दावन करोड़ चौरसह लाख साठ हजार पाँच सौ रुपये मात्र)				


 (किन्दर कुमार)
 मुख्य अभियंता (ना०) 19/11/13